

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-४/निदे०-महा० वि०-५६-०३/२०१५-

राज्य योजना

130

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (मु०)

-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- १४.०३.१७

विषय: वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में अनुसूचित जाति के परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में ₹७३०.६५ लाख (सात करोड़ तीस लाख पैसठ हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में अनुसूचित जाति के परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में ₹७३०.६५ लाख (सात करोड़ तीस लाख पैसठ हजार रु०) मात्र की राशि उपलब्ध कराने एवं व्यय की स्वीकृति एवं कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये श्रम संसाधन विभाग द्वारा पूरे राज्य के लिये राज्य कौशल नीति के तहत निर्धारित मानक प्रक्रिया, दर, एजेन्सी तथा दिशा-निर्देश में कराने की स्वीकृति तथा दिनांक-१९.०८.२०१६ को मंत्रिपरिषद के द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन कराने एवं व्यय करने की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष २०१६-१७ से २०१७-१८ तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति पत्रांक-१२४ दिनांक-२७.०३.२०१७ द्वारा प्रदान की गई है। तदनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में अनुसूचित जाति के परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में ₹७३०.६५ लाख (सात करोड़ तीस लाख पैसठ हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

२- आवंटित राशि का व्यय राज्य योजना मद से मांग संख्या-४४ के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-१०२-आर्थिक विकास, उपशीर्ष-०११५-महादलित विकास हेतु-विषय शीर्ष-३१०६-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा-विपत्र कोड-P२२२५०११०२०११५ राज्य योजना स्कीम कोड-SST-५४५९ के अन्तर्गत विकलनीय है।

३- इस आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी उपनिदेशक(मु०) अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर राशि को बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पी० एल० खाता संख्या-PLA-२६४ में हस्तांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-२०१६-१७ में योजना प्राधिकृत समिति तथा मंत्रिपरिषद से बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के माध्यम से कार्यान्वित होनेवाली स्वीकृति योजनाओं, यथा बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पत्रांक-१४३४ दिनांक-०१.०८.२०१६ में उल्लिखित योजनाओं पर ही राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

४- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-२५६१ दिनांक-१७-४-९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5- महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।


6- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलना महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगे।

7- राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा योजना से संबंधित व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग का निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

8- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

9- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना मद में बजट प्रावधान एवं योजना उद्व्यय उपलब्ध है।

विश्वासभाजन,


  
(वीरेन्द्र कुमार) 31/17  
निदेशक।

ज्ञापांक- 4/निदे0-महा0 वि0-56-03/2015- 130 पटना, दिनांक 28.08.17  
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, (दोहरी प्रति में)/आई0 टी0 मैनेजर, प्रशाखा पदा0-5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



  
निदेशक। 31/17